

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
आत्मा, रामगढ़।

संदर्भ :— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के कार्यन्वयन हेतु प्रगतिशील कृषक एवं कृषक समूह के लिए सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) पर थ्रेसिंग फलोर उपलब्ध कराने के संबंध में।

1. थ्रेसिंग फलोर

महाशय,

मैं/हम कृषक/कृषक समूह
पिता/पति ग्राम पोस्ट
..... प्रखण्ड जिला—रामगढ़ के स्थायी
निवासी हैं। मैं/हम या हम सभी अनु०जा०/अनु०ज०जा०/पिछड़ी/सामान्य जाति/महिला
कृषक हैं। हम कृषक/ कृषक समूह के पास कृषि योग्य भुमि उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि हमे अनुदानित दर पर थ्रेसिंग
फलोर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(क). थ्रेसिंग फलोर कुल लागत
(ख). खलिहान का अनुदानित राशि
(ग). कृषक/ कृषक समूह द्वारा देय राशि

कुल :-

अनुदान की राशि (50%)
मेरे/हमारे द्वारा देय राशि (50%)

कृषक का हस्ताक्षर/कृषक समूह के
प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण

—: आदेश :—

ज्ञापांक.....

दिनांक

कृषक का नाम

पिता/पति का नाम

ग्राम

प्रखण्ड

जिला

थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण

थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण की कुल लागत

अनुदान कि राशि

कृषक द्वारा लागत राशि

प्रेषित :—

सेवा में,

.....
.....

आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्य का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर नियमानुसार थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण करें।

आदेश/परमिट निर्गत करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर

परियोजना निदेशक,
आत्मा, रामगढ़।

शपथ—पत्र

मै पिता/पति का नाम
ग्राम प्रखण्ड जिला—रामगढ़ शपथपुर्वक
कहता हुँ कि अनुदानित लागत पर प्राप्त थ्रेसिंग फ्लोर 50 प्रतिशत अनुदान पर निर्माण करने को इच्छुक हुँ।
मै अपनी इच्छा से थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण करना चाहता/चाहती हुँ। जिसका लागत कुल राशि
..... रूपया अनुदान कि राशि रूपया के
अतिरिक्त शेष राशि थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण में खर्च करूँगा/करूँगी।

मेरे द्वारा अनुदानित लागत पर कार्य नहीं हो पाया तो मेर उपर नियमानुसार कार्रवाई की जा
सकती है, जिसके लिए परियोजना निदेशक, आत्मा, स्वतंत्र होंगे।

गवाह :— (1)

(2)

कृषक का हस्ताक्षर/कृषक समुह
के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर